न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालीयर .

R. 2490 - I/14

1-- धापुबाई पिता जवरचन्द्रजी माली आयु 60 साल, धंधा कृषि निवासी ग्राम भीमाखेडी .

2-- नागुबाई पिता जवरचन्द्रजी माली आयु 70 वर्ष धंधा कृषि निवासी ग्राम भीमाखेडी तह. जावरा जिला रतलाम म. प्र. :--- प्रार्थीगण/निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1-- चंदाबाई उर्फ कन्याबाई पिता जवरचन्द्रजी पति कालुजी माली आयु 65 साल निवासी भीमाखेडी तहसील जावरा.

2-- खुशालबाई पिता जवरचन्द्रजी माली आयु 80वर्ष निवासी इकबालगंज जावरा जिला रतलाम म प्र. :--प्रतिप्रार्थीगण/ प्रत्यर्थी

संदीप मेहता एड.
16/7/14

दि-16-7-14 को उपस्थित
पेशी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू. रा. सं. 1959

निगरानी बनाराजगी न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय जावरा के राजस्व प्रकरण क्रमांक-38/27/11-12 मे पारित आदेश दिनांक 29-5-14 मे चंदाबाई विरुद्ध खुशालबाई वगैरा से असंतुष्ट होकर ।

माननीय महोदय,

प्रार्थीगण/निगरानीकर्ता की ओर से निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत है :-

निगरानी के तथ्य

1-- यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है कि ग्राम भीमाखेडी मे स्थित कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 35/1 , 106, 382/1, 410/2, 411/2/1 कुल कीता-5 कुल रकबा-6. 184 हेक्टर राजस्व अभिलेख मे संयुक्त रुप से अंकित है परंतु इस भूमि का बंटवारा आज से 40-45 साल पहले प्रार्थी के पिता जवरचन्द्रजी ने कर दिया था और जवरचन्द्रजी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2490-एक/14 **जिला** - रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	